भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 217
जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 03 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक) को दिया जाना है

बकाया कर की वसूली

217. डॉ. सी. एम. रमेशः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में बकाया कर की राशि 47 लाख करोड़ हो गई है जो कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) कर बकाया की वसूली के लिए सीबीडीटी, सीबीआईसी और सरकार के कानूनी प्रकोष्ठों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): दिनांक 31/12/2024 को प्रत्यक्ष कर बकाया राशि की मात्रा 41,63,435 करोड़ रुपये और अप्रत्यक्ष कर बकाया राशि 1,01,332 करोड़ रुपये है।

(ग): प्रत्यक्ष कर बकाया की वसूली के लिए सीबीडीटी द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) बकाया मांग प्रबंधन की सुविधा के लिए मांग सुविधा केंद्र (डीएफसी) की स्थापना की गई है।
(ii) सभी अधिकार क्षेत्रों में बकाया मांग के शीर्ष 5000 मामलों के संबंध में बकाया मांग में कमी की निगरानी।
(iii) वार्षिक नकदी संग्रहण और मांग को कम करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों को लक्ष्य दिए गए हैं।
(iv) मुकदमेबाजी प्रबंधन, अपील/सुधार प्रभाव, मांग पृथक्करण आदि जैसे विशिष्ट कदमों की रूपरेखा तैयार की गई है।
(v) वरिष्ठ प्राधिकारियों द्वारा बकाया मांग को एकत्र/वसूल करने के लिए कर निर्धारण अधिकारी के प्रयासों की नियमित रूप से समीक्षा/निगरानी की जाती है।
(vi) विभाग द्वारा तैयार किए गए व्यक्तिगत लेन-देन विवरण और 360-डिग्री प्रोफाइल जैसे डेटाबेस तथा एफआईयू-आईएनडी जैसी अन्य एजेंसियों द्वारा बनाए गए डेटाबेस को वसूली के लिए परिसंपत्तियों की पहचान करने हेतु क्षेत्रीय इकाइयों को उपलब्ध कराया गया है।

(vii) वसूली के लिए कर वसूली अधिकारियों तथा स्थगन याचिकाओं पर कार्यवाही हेतु क्षेत्रीय प्राधिकारियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सीबीआईसी ने बकाया कर की वसूली के लिए दिनांक 19.01.2022 के मास्टर परिपत्र संख्या 1081/02/2022-सीएक्स जारी किया है। उक्त परिपत्र के अनुसार, "प्रत्येक आयुक्तालय में एक संयुक्त/अपर आयुक्त स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समर्पित 'कर वसूली प्रकोष्ठ' होना चाहिए। बकाया वसूली की निगरानी क्षेत्राधिकारी प्रधान आयुक्तों/आयुक्तों द्वारा मासिक आधार पर की जाएगी और प्रगति की निगरानी क्षेत्रीय प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त द्वारा की जाएगी।"

सीबीआईसी द्वारा वसूली के लिए अपनाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के तहत चूककर्ताओं की चल/अचल संपत्तियों को जब्त करना और नीलाम करना।
(ii) बकाया राशि की भरपाई के लिए शुल्क मुक्त आयात के लिए प्रदान की गई गारंटी का उपयोग करें।
(iii) चूककर्ताओं के नाम का प्रकाशन:
(iv) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 37ई के तहत नाम प्रकाशित करने के लिए दिशानिर्देश।
(v) वसूली प्रयासों में सहायता करने वाले अधिकारियों और मुखबिरों के लिए प्रोत्साहन।

*****